जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकः एफ/सम्बद्धता/2015/1536 दिनांकः 13 फरवरी, 2015

—: सूचना :—

जीवाजी विश्वविद्यालय परिक्षेत्र में स्थित समस्त अशासकीय महाविद्यालय जिनमें परिनियम 27 एवं 28 लागू होता है, को सूचित किया जाता है कि —

1. यदि उनके महाविद्यालय में नियमानुसार सम्बन्धित विषयों में परिनियम 28 (17) के अन्तर्गत प्राचार्य, शिक्षक, शारीरिक शिक्षा अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं गैर शिक्षक स्टाफ की नियुक्ति की गई है तो सम्बन्धित दस्तावेजों को दिनांक 20.02.2015 तक विश्वविद्यालय की सम्बद्धता शाखा में दो प्रतियों में प्राचार्य द्वारा सत्यापित कराकर जमा करावें। कृपया ध्यान दें कि ऐसे समस्त प्राचार्य, शिक्षक, शारीरिक शिक्षा अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं गैर शिक्षक स्टाफ इत्यादि के बायोडेटा की प्रति (फोटो सहित) साथ में संलग्न करें।

यदि

यदि महाविद्यालयों में परिनियम 28(17) के अन्तर्गत कुछ नियुक्तियाँ शेष है तो दिनांक 20.02.2015 तक पद विज्ञापित कर (एक राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं क्षेत्रीय समाचार पत्र में) दिनांक 28.02.2015 आवेदन मंगाऐं उसके उपरान्त संक्षेपिका बनाकर दिनांक 10.03.2015 तक विश्वविद्यालय की सम्बद्धता शाखा में दो प्रतियों में जमा करावें। इस कार्य हेतु विश्वविद्यालय में नियमानुसार शुल्क भी जमा करावें। विज्ञापन में यह स्पष्ट होना चाहिए कि उपरोक्त नियुक्तियाँ विश्वविद्यालय एवं मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल के नियमानुसार होंगी। साथ ही विज्ञापन में प्रत्येक विषय, पदों की संख्या, अर्हता एवं वेतनमान का भी उल्लेख होना चाहिये।

यदि

पूर्व में परिनियम 28(17) के अन्तर्गत चयन प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है तो दिनांक 28.02.2015 तक उसे पूर्ण करावें एवं उनके चयन समिति की सूचना विश्वविद्यालय को प्रदान करें। तिथि के उपरान्त समस्त समितियाँ भंग मानी जावेगी एवं महाविद्यालय उपरोक्तानुसार पुन विज्ञापन प्रसारित करने की कार्यवाही करेंगे।

2. परिनियम 28 के अनुसार प्रत्येक महाविद्यालय में Governing body एवं College Council का होना आवश्यक है। यदि महाविद्यालय द्वारा Governing Body एवं College Council का गठन किया जा चुका है तो इसकी सूचना विश्वविद्यालय के सम्बद्धता विभाग में जमा करावें जिसमें समस्त सदस्यों के नाम हों। यदि महाविद्यालय द्वारा Governing Body एवं College Council का गठन नहीं किया गया है तो दिनांक 28.02.2015 तक गठित कर विश्वविद्यालय में सूचना दें।

3. महाविद्यालय में परिनियम 28 के अन्तर्गत हुई नियुक्तियों के वेतन का भुगतान बैंक/चेक के माध्यम से होना आवश्यक है। यदि महाविद्यालय ऐसा कर रहा है तो पिछले छह माह के वेतन भुगतान का बैंक स्टेटमेंट विश्वविद्यालय के सम्बद्धता विभाग में जमा करावें। यदि नहीं कर रहा है तो इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करें कि आगामी भुगतान चेक के माध्यम से ही होगा।

4. उक्त सूचना पश्चात भी किसी महाविद्यालय द्वारा परिनियम 28(17) के अन्तर्गत रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी कर आवेदन नहीं मंगाऐं जाते हैं तथा दिनांक 20.02.2015 तक इसकी सूचना विश्वविद्यालतय में नहीं दी जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी एवं अगले शैक्षणिक सत्र हेतु महाविद्यालय की मान्यता प्रदान करने के प्रकरण पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जाना संभव नहीं होगा।

कुलसचिव